प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.05.2026

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना एंव कार्यवाही का विवरण— वादी श्री असफाक आलम राय पुत्र स्व० अब्बास राय निवासी साकिन बलुआ जागीर, वार्ड नं० 06, पंचायत झाला, थाना टेढ़ागाछ, जनपद किशनगंज, बिहार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र गुलाम असरफ उम्र 19 वर्ष की हत्या कर शव को साजिश के तहत छिपा देने के सम्बन्ध में थाना टेढ़ागाछ, किशनगंज, बिहार पर जीरो एफआईआर अन्तर्गत धारा103(1)/238/3(5) बीएनएस पंजीकृत की गई। घटनास्थल थाना वेव सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण उपरोक्त जीरो एफआईआर थाना वेव सिटी पर प्राप्त हुई, जिस पर दिनांक 05.05.2026 को अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 06.05.2026 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण—

1. रेहान राय पुत्र बेचन राय, उम्र करीब 18 वर्ष
2. अकिल राय पुत्र जाबिर राय, उम्र करीब 19 वर्ष
   निवासीगण बलुआ जागीर, वार्ड नं० 06, थाना टेढ़ागाछ, जनपद किशनगंज, बिहार को किशनगंज, बिहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय, किशनगंज, बिहार के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया।

आज दिनांक 09.05.2026 को थाना वेव सिटी से अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय, जनपद गाजियाबाद के समक्ष पेश किया गया, जहाँ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—
अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम तीनों (रेहान राय, अकिल राय एवं मृतक गुलाम असरफ) एक ही गाँव बलुआ जागीर, वार्ड नं० 06, थाना टेढ़ागाछ, जनपद किशनगंज, बिहार के निवासी हैं तथा दीनानाथपुर पुठी गाँव स्थित खेत में मोहम्मद फजर की फैक्ट्री में कार्य करते थे।कुछ दिन पूर्व शराब के नशे में गुलाम असरफ द्वारा हम दोनों के साथ मारपीट की गई थी, जिससे हम दोनों उसके प्रति अंदर ही अंदर रंजिश रखने लगे थे और मौके की तलाश में थे। दिनांक 28 अप्रैल 2026 को हम तीनों ने एक साथ शराब पी। इस दौरान गुलाम असरफ को अधिक शराब पिला दी गई। इसके बाद हम तीनों फैक्ट्री में ही सो गए। रात्रि में हम दोनों (रेहान राय एवं अकिल राय) उठे तथा वहीं पड़े फावड़े से गुलाम असरफ के सिर एवं मुँह पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हमने फैक्ट्री परिसर में गड्ढा खोदकर शव को छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

1. रेहान राय पुत्र बेचन राय निवासी बलुआ जागीर, वार्ड नं० 06, थाना टेढ़ागाछ, जनपद किशनगंज, बिहार।
2. अकिल राय पुत्र जाबिर राय निवासी बलुआ जागीर, वार्ड नं० 06, थाना टेढ़ागाछ, जनपद किशनगंज, बिहार।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास—

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना वेव सिटी पुलिस टीम ।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 08/05/2026 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1- अरविन्द पुत्र देशराज सिंह निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर उम्र करीब 40 वर्ष के द्वारा वादिया को बिना सहमति के अपने खेत पर ले जाकर गलत काम करना व दूसरा लडका नाम पता अज्ञात के द्वारा वादिया का वीडियो बना लेना, वीडियो वायरल करने की कहकर उसके द्वारा भी वादिया के साथ बिना सहमति से गलत काम करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धाराओं-70(1)/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 09/05/2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र देशराज सिंह निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर उम्र करीब 40 वर्ष व वीडियो बनाकर वायरल करने धमकी देकर गलत काम करने वाले अभियुक्त पंकज पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर उम्र करीब 31 वर्ष को चौकी क्षेत्र चुडियाला से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त अरविन्द ने बताया कि मैं ग्राम सैदपुर का रहने वाला हूँ, पीडिता मेरी जानकार थी । मैं पीडिता को सिलेन्डर दिलाने के बहाने सैदपुर के खेतो में ले जाकर गलत काम कर रहा था तभी पंकज जो कि मेरे ही गांव का व्यक्ति है आ गया व उसके द्वारा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई एवं पीडिता के साथ गलत काम किया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1- अरविन्द पुत्र देशराज सिह निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर उम्र करीब 40 वर्ष ।

2- पंकज पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर उम्र 31 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना भोजपुर पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 06.04.2026 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष के साथ अनुज पुत्र राकेश द्वारा छेडछाड़ करना व वीडियो वायरल करने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 75,351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दौराने विवेचना पीडिता के बयानों एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 09.05.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र राकेश निवासी औरंगाबाद गदाना मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वादिया की पुत्री से मेरी जान पहचान व बातचीत थी तथा काफी समय से पीडिता के साथ गलत काम करता आ रहा हूँ। मैं कई बार पीडिता के साथ छेड़छाड़ कर चुका हूँ, किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अनुज पुत्र राकेश निवासी औरंगाबाद गदाना मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है व पूर्व में वादिया की पुत्री के साथ छेडछाड व भगा के ले जाने के सम्बन्ध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दो पक्षों में मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

आज दिनांक 09.05.2026 को दो पक्षों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने जिसमें एक पक्ष के दो दांत टूट जाने के संबंध में थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरूद्ध तत्काल

धारा 115(2)/352/351(2)/351(3) /118(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रथम पक्ष की अभियुक्ता आसमा उर्फ चुनिया पत्नी कबीर शेख निवासी कमल विहार मक्की मस्जिद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष तथा द्वितीय पक्ष के अभियुक्त अरबाज पुत्र नसरुद्दीन निवासी राहत एन्कलेव निकट मक्की मस्जिद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों पक्षों की पूर्व की मुकदमेबाजी को लेकर आपस में कसीदगी चल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों द्वारा इकट्ठा होकर आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का नाम व पता –

1. अरबाज पुत्र नसरुद्दीन निवासी राहत एन्कलेव निकट मक्की मस्जिद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।
2. आसमा उर्फ चुनिया पत्नी कबीर शेख निवासी कमल विहार मक्की मस्जिद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अरबाज उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर लूट व आयुध अधि0 के 02 अभियोग, थाना अंकुर विहार पर लूट का 01 अभियोग तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्ता आसमा उर्फ चुनिया उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 07.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी के घर पर अभियुक्त साहिल द्वारा गोली चला दी है जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा- 125(b) में अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 09.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साहिल पुत्र शमीम निवासी बुराडी दिल्ली नियर झोडका माजरा थाना बुराडी दिल्ली स्थाई पता रमपुरा थाना छिबरामऊ जिला फर्रूखाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं पहले वादी की गली में ही रहता था जिससे हमारा पुराना विवाद है कुछ दिन पहले वादी के छोटे भाई द्वारा मेरी बहन को गाली दी थी जिस कारण मैंने वादी के घर पर गोली चलायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र शमीम निवासी बुराडी दिल्ली नियर झोडका माजरा थाना बुराडी दिल्ली स्थाई पता रमपुरा थाना छिबरामऊ जिला फर्रूखाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में छिनैती की घटनायें कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार तथा मौके से उसका साथी गिरफ्तार। कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू, 10 चोरी/ छिनैती के मोबाइल व 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तारी/ पुलिस मुठभेड़ का विवरण

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा डम्पिंग ग्राउन्ड रेलवे के पुल के नीचे गंगनहर पटरी के पास संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग की जा रही थी जिसके दौरान चित्तौडा नहर पुल की तरफ से गंग नहर की पटरी पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आये उन दोनों व्यक्तियों को चेकिंग हेतु रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को पीछे मोडने लगा और हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। जिसके

बाद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायर किया जिसमें मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति के पैर में गोली लग गयी। पुलिस टीम ने आवश्यक बल प्रयोग करके दोनों व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नाम पता पूछा तो घायल व्यक्ति ने अपना नाम राहुल उर्फ रितिक बताया जिसके कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोबाइल बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम विनय पुत्र सुभाष बताया जिसके पास से 01 अवैध चाकू, 09 मोबाइल व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल बदमाश को अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम दिल्ली, गाजियाबाद आदि जगह से मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल चोरी व छिनैती की घटना करते हैं। पिछले महीने हमने रेलवे रोड मुरादनगर से 01 मोबाइल चोरी किया था व इस महीने हमने मेरठ से ये बाइक चोरी की थी तथा 05 मई 2026 को मुरादनगर से 01 मोबाइल छीना था, हम चोरी, छिनैती करके अपने शौक पूरे करते हैं। जब हमारे पास माल इकट्ठा हो जाता है तो उसे दानिश निवासी दिल्ली को बेचकर हम घूमने चले जाते हैं फिर वहाँ से वापस आकर फिर यही काम करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.विनय पुत्र सुभाष निवासी ग्राम उसमानपुर जीरो पुस्ता एमसीडी फ्लैट महादेव चौक थाना उसमानपुर दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष।

2.राहुल उर्फ रितिक पुत्र नानक चन्द निवासी वाल्मीकी मौहल्ला अम्बेडकर बस्ती गली नं0 1 घोंडा मौजपुर थाना जाफराबाद दिल्ली, उम्र करीब 24 वर्ष (मुठभेड में घायल)

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू, 10 चोरी के मोबाइल, 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राहुल के विरूद्ध दिल्ली,मेरठ,अलीगढ व गाजियाबाद में चोरी/ लूट/ छिनैती के करीब 16 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त विनय के विरूद्ध मेरठ व गाजियाबाद में चोरी/ छिनैती के कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।